राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 30(6) मं.मं./2018 जयपुर दिनांकः– 27/12/18

परिपत्र

विषय :–राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने बाबत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.11.2018 के क्रम में लेख है कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशासनिक विभागों द्वारा राजकीय बोर्ड/निगम/उपक्रमों आदि के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किये जाकर, प्रतियां राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने हेतु भिजवानी होती है।

परिपत्र दिनांक 16.11.2018 से समस्त प्रशासनिक विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ विभाग/बोर्ड/निगम/उपक्रम इत्यादि, जिनके वार्षिक प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने हैं, के वार्षिक प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन में 30 नवम्बर तक की सूचना/ऑकडे सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा के आगामी बजट सत्र 2019–20 से पूर्व 31 दिसम्बर, 2018 तक निश्चित रूप से विधानसभा को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों को उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि 31 दिसम्बर 2018 तक की सूचना/आंकड़े प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा के आगामी बजट सत्र आहूत होने के उपरान्त या बजट प्रस्तुत करने से सात दिवस पूर्व विधानसभा को भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा सचिवालय में विलम्ब से पहुंचने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

प्रतिवेदन की 5 प्रतियां वित्त (आय–व्ययक) विभाग, एक–एक प्रति प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, समस्त माननीय संसद सदस्यों को एवं एक प्रति इस सचिवालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। कृपया प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन राजभाषा हिन्दी में ही भेजा जाना सुनिश्चित करें।

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में एकरूपता तथा इसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसमें निम्न बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जावेः–

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा।
2. स्वीकृत– कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण।
3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना।
4. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि।
5. सार– संक्षेप (Executive summary)।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

27/12/18
(टी0 रविकान्त)
शासन सचिव

कृपृउ

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

27/12/2018
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.1(7)(3) साशा/विस/2018/34801 दिनांक 24.12.2018 के क्रम में।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।

27/12/2018
वरिष्ठ शासन उप सचिव